कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री स्कूटर्स इण्डिया लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**055 / 13, 28.10.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री जे0 एल0 सहगल, अधिकृत प्रतिनिधि।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री स्कूटर्स इण्डिया लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 28.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि कम्पनीज एक्ट, 1956 के तहत स्थापित कम्पनी, शासन के नोटिफिकेशन संख्या-1315, दिनांक 07.10.2013 के वर्ग-C से आच्छादित है अथवा नहीं तथा क्या प्रार्थी की कम्पनी द्वारा क्रय के फलस्वरूप किये जाने वाले भुगतान से स्रोत पर कटौती की जानी है अथवा नहीं ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री जे0 एल0 सहगल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते कहा गया कि उनकी फर्म कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत स्थापित एक भारत सरकार की कम्पनी है। यह कम्पनी किसी सेन्ट्रल एक्ट अथवा यू.पी. एक्ट के अन्तर्गत नहीं आती है । संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-2 के नोटिफिकेशन संख्या-1315, दिनांक 07.10.2013 में बिन्दु संख्या-सी पर अंकित कारपोरेशन अथवा सेन्ट्रल एक्ट व यू.पी. एक्ट के तहत स्थापित अन्डर टेकिंग संस्था को क्रय के फलस्वरूप किये जाने वाले भुगतान पर 4% की दर से कटौती किये जाने का निर्देश जारी किया गया है। जिसके कारण उनकी कम्पनी में कटौती के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट है जिसका निवारण करने का अनुरोध किया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-905, दिनांक 31.12.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि विज्ञप्ति दिनांक 07.10.2013 में की गयी व्यवस्था का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि स्वनिर्मित तैयार माल के लिए जो कच्चा माल प्रान्त में उनके द्वारा खरीदा जाता है उस पर टी0 डी0 एस0 की कटौती किये जाने की आवश्यकता उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत नहीं है। क्योंकि उनके द्वारा निर्मित माल पुन: बिक्री के लिए होता है न कि स्वयं के उपयोग के लिए और बिक्रीत माल पर उनके द्वारा कर भी जमा किया जाता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नकर्ता एक कम्पनी हैं जो कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत स्थापित है। उनके द्वारा अपने कच्चे माल, जो कि प्रान्त अन्दर से क्रय किया जाता है, के मूल्य भुगतान के समय स्रोत पर 4% की दर से कटौती विषयक शासन के नोटिफिकेशन दिनांक 07.10.2013 के अनुपालन में स्रोत पर कटौती करने या न करने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 में प्राविधानित नहीं है तथा यह प्रश्न धारा-59 से आच्छादित न होने के कारण ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

....2

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि '' स्रोत पर कटौती '' करने विषयक प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं आता है जिसके कारण कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 जनवरी, 2014

ह0 / 22.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।